

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(10)वित्त/राजस्व/12

जयपुर, दिनांक:- 23 FEB 2018


आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों का वर्ष 2018-19 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप इनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्रसं.	अधिकारी का नाम	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री वेद प्रकाश छाबड़ा	30.12.18
2.	श्री वीरेन्द्र कुमार जैन	30.06.18
3.	श्री विष्णुदास गुप्ता	30.06.18
4.	श्री श्याम सुंदर गुप्ता	30.11.18

नोट :- सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी जिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहा है, को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित विभाग से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के नीचे दिए गए सेवानिवृत्ति आदेश के प्रारूप-6 के बिन्दु 2(1,2) की पूर्ति कर इस विभाग को भिजवाये।

आज्ञा से,


(प्रकाश नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. संबंधित, शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अति. निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव